O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 2155
Date 29 AUG 2022
GM (IT)
E(O)/SE
Section

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि. में
अपीलीय अधिकारी श्री के.के.भौरासे, महाप्रबंधक (मा.सं.)
(अपील प्र.क. 01/2022 दिनांक 14.07.2022)

क्रमांक :– 01–01/अ.प्र.क./01/2022/ 712 रायपुर, दिनांक 26/08/2022

श्री सुधीर कुमार अपीलार्थी
कोरबा

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 26/08/2022 को पारित)

अपीलार्थी श्री सुधीर कुमार ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, के निर्णय दिनांक 29.06.2022 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी ।	कनिष्ठ अभियंता, ब्रांच (इलेक्ट्रीकल) की प्रश्न पत्र की सत्यापित प्रति।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :–	जन सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त विभागीय परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, (छ.ग.) में दायर याचिका कमांक 2537/2022, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। अतः जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। जिससे प्रार्थी असंतुष्ट है। क्योकि मांगी गई जानकारी प्रश्न पत्र पुस्तिका (इलेक्ट्रीकल) प्रदान करने से याचिका कर्ताओं को किसी प्रकार का लाभ एवं न्यायालयीन प्रकिया में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। अतः निवेदन है कि कनिष्ठ अभियंता, ब्रांच (इलेक्ट्रीकल) की प्रश्न पत्र की सत्यापित प्रति प्रदान करने का कष्ट करें।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–
		02.08.2022	उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतः अपील में सुनवाई नहीं की जा सकी।
		23.08.2022	निर्धारित तिथि को जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। दोनों उभय पक्ष के तर्क कथन सुने गए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गयी।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा		जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि चाही गयी जानकारी के संबंध में आवेदक को पत्र कमांक 1066 दिनांक 29.06.2022 के माध्यम से सूचित किया

	प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क –		गया है कि "उक्त विभागीय परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग.) में दायर याचिका कमांक 2537/2022, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। अतः सूचनाधिकार के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में सूचना दिये जाने को प्रतिषिद्ध किया गया है। उक्त जानकारी में अधिनियम की धारा 8(1)(h) के प्रावधान आकर्षित होते है। अतः उक्ताशय के परिप्रेक्ष्य में आपको जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि जब न्यायालय के समक्ष कोई प्रकरण विचाराधीन है। उसके संबंध में अन्य पक्ष को सूचना दी जाना तर्कसंगत नहीं है। न्यायाधिकरण अथवा न्यायालय के समक्ष किसी मामले में कार्यवाही विचाराधीन है उससे संबंधित जानकारी न्यायालय या न्यायाधिकरण से प्राप्त की जा सकती है।
(V)	अपील सुनवाई के दौरान अपीलार्थी का तर्क कथन :–		विभागीय भर्ती परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका वर्तमान में विचाराधीन है, का हवाला देते हुये उन्हे वांछित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जबकि न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में मै पक्षकार नहीं हूँ। अतः कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रीकल) की प्रश्न पत्र की प्रति यह जानने के लिए की उनसे कहाँ पर गलती हुई है, उपलब्ध कराने का कष्ट करें। चूंकि मै विभागीय भर्ती परीक्षा में स्वयं प्रतिभागी उम्मीद्वार हूँ। अतएव प्रश्न पत्र की प्रति स्वंय से संबंधित जानकारी है। तथापि उच्च न्यायालय के आर्डर शीट में कही भी भर्ती परीक्षा से संबंधित जानकारी देने से मना नहीं किया गया है। जब मामला कोर्ट के अधीन है तो 04 विभागीय उम्मीदवारों का चयन कैसे हो गया है।
(VI)	जनसूचना अधिकारी का पक्ष कथन :–		कनिष्ठ यंत्री की विभागीय भर्ती से संबंधित याचिका कमांक 2537/2022, जो कि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। तत्संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आर्डर शीट दिनांक 08.04.2022 में यह उल्लेख किया गया है कि **The Respondents are directed to permit the petitioners to appear in the Written Examination scheduled for 10-04-2022 for the post of Junior Engineer in the Departmental Promotion process. Result of the Petitioners may not be released till further Orders by this Court.** उपरोक्त के दृष्टिगत विभागीय भर्ती में कार्यवाही की गयी है। चूंकि विभागीय भर्ती परीक्षा के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ

			जाता है तब तक किसी भी प्रकार की जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। क्योकि उक्त दस्तावेज के प्रकटन से भर्ती प्रकिया की गोपनीयता प्रभावित व माननीय न्यायालय की अवमानना हो सकती है।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्को से ऐसा प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा जो कार्यवाही की गयी है वह विधि संगत है।

सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा तालिका कमांक (1) में कनिष्ठ अभियंता, ब्रांच (इलेक्ट्रीकल) प्रश्न पत्र की सत्यापित प्रति चाही गयी है। तत्संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा तालिका क्रमांक (IV) एवं (VI) में जो कार्यवाही व तर्क दिया गया है वह नियम के अनुरूप है, जो स्वीकार योग्य है। जब मामला न्यायाधीश (विधि के न्यायालय) के समक्ष विचारण में है, तब कोई भी जानकारी/दस्तावेज सूचनाधिकार के तहत प्रकट नहीं की जा सकती है।

अपील सुनवाई तिथि को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 8 की उपधारा अनुसार लोकहित से संबंधित दस्तावेज को प्रकट किये जाने से संबंधित है। जिसके संबंध में लेख है कि जो जानकारी/दस्तावेज बृहत्तर लोकहित सधता हो तो उसे प्रकट किया जाना है। किन्तु वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता की विभागीय भर्ती याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतः प्रकरण में लोकहित का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार तर्कसंगत नहीं है। उल्लेखित तथ्यों के आधार पर कनिष्ठ अभियंता की विभागीय भर्ती को दृष्टिगत रखते हुये यह उचित होगा कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 2537/2022 में अंतिम निर्णय आने के पश्चात् ही भर्ती परीक्षा से संबंधित जानकारी/दस्तावेज को प्रकट किया जा सकता है। अतः प्रकरण में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

तदनुसार दर्ज अपील प्र.क. 01 दिनांक 14.07.2022 को एतद् द्वारा निराकृत किया जाता है।

26.8.22

(के.के.भौरासे)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक– 0771–2574700

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) श्री सुधीर कुमार, क्वा.नं.– SE -292, CSPGCL, कालोनी, कोरबा (पूर्व), पो.– कोसाबाड़ी, कोरबा, जिला – कोरबा (छ.ग.) पिन – 495677 को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC) छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव,
छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, नवा रायपुर